हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 जुलाई, 1976

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 7 जुलाई, 1976

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)23
वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त)	
(i) राज्यौं के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमान	(3)26
(ii) अनूपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(3)26

हरियाणा विधान कार्यवाही

7 जुलाई, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौ. सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Area Affected by Floods

***1603. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the total area in each district of the State affected by flood during the years 1975 and 1976 (to-date) together with the name of each flood-affected district and of the river which caused flood; and

(b) the mode of relief given to the inhabitants of the floods affected areas in each district together with the results thereof?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) Year	Name of District	Total are affected by floods	River which caused flood
		Acres	
1975	Rohtak	96845	Sahibi Nadi
	Sonepat	71377	Yamuna
	Gurgaon	60333	Sahibi & Yamuna
	Narnaul	39107	Sahibi Nadi
	Kurukshetra	32057	Markanda and Yamuna
	Jind	19553	Due to heavy rains
	Karnal	14270	Yamuna
	Ambala	7786	Yamuna, Som, Chatang and Markanda
	Sirsa	3430	Ghaggar
	Total	344758	
	1976	Nil	

The question was put by Ch. Shiv Ram Verma M.L.A., on behalf of Ch. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.

(b) A statement is laid on the table of the house.

Statement

The details of relief given to the inhabitants of the flood-affected areas in each district is as under –

Year	Sr. No.	District	Loans under Land Improvement Act XIX of 1883 (Other loans) (for repair/ reconstruction of houses).	Loans under Agriculturists loans Act XII of 1884 (other loans) (For seeds, fodder and cattle etc.)	Grant for repair of houses	Total
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1975	1	Gurgaon	200000	800000	80000	1080000
	2	Rohtak	300000	700000	150000	1150000
	3	Narnaul	200000	800000	100000	1100000
	4	Kurukshetra	100000	200000	80000	380000
	5	Karnal	100000	200000		300000
	6	Sonepat	100000	300000	40000	440000
		Total	1000000	3000000	450000	4450000

The Government has also given Rs. 5 lakhs as loan and Rs. 1 lakh as grant to Jind district for affording relief to the people affected by floods due to heavy rains.

1976 Nil

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि जो रिलीफ सरकार देने जा रही है क्या यह नुकसान को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समझा गया है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: जहां तक नुकसान को ध्यान में रखते हुए रिलीफ देने का सवाल है, वह काफी तो नहीं कही जा सकती फिर भी सरकार जो रिलीफ दे सकती थी, दिया। जो नुकसान हुआ है वह राशि7 करोड़ है।

श्री धजा राम: अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में डिस्ट्रिक्ट जींद में फलड से 19553 एकड़ जमीन को नुकसान बताया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में सरकार आगे के लिये कया स्टैप उठाने जा रही है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, जहां पर ड्रेनज न होने की वजह से नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार ने इंस्ट्रक्शनज दी हैं कि वहां पर ड्रेनज को डिसिल्ट किया जाए और इसके लिये वहां पर एक डैम भी बनाया जा रहा है।

चौ. दल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताने का कश्ट करेंगे कि सरकार ने रिलीफ फण्ड में कुल कितनी रकम तकसीम की है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: 50 लाख 50 हजार रूपए।

चौ. शिवराम वर्मा: क्या मिनिस्टरसाहब बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर ड्रेनज बनाई हैं, या बनाने जा रहे हैं और जहां पर पुलों कीबड़ी जरूरत है वहां पर सरकार पुलों काम कब तक कम्पलीट कर देगी?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, the supplementary does not arise out of this question.

Mr. Speaker: Yes, I agree.

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कई जगहों परकाफी पाक्टिस हैं और लिंक ड्रेन न बनने के कारण कई जगहों पर पानी खड़ा रहताहै क्या सरकार की ऐसी कोई स्कीम है जिससे कि ऐसे पानी का निकास हो सके और छोटी लिंक ड्रेन बनाई जावें ताकि लोगों को इस पानी के इकट्ठा होने से कोई नुकसान न हो?

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, ड्रेनज और फलड कन्ट्रोल का महकमा मेरा है इसलिये इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। इस बारे हमने एक योजना बनाई है कि जिससे बाढ़ की रोकथाम की जा सकेगी। जहां पर कुछ लिक्स

ड्रेनज बनाने की जरूरत थी, वहां परहम लिंक ड्रेन बना रहे हैं। जहां स्पर्ज की जरूरत थी, वहां स्पर्ज बना रहे हैं। जहां बांध बनाने की जरूरत थी वहां पर बांध बना रहे हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि एक ही साल में यह योजना पूरी हो जाएगी लेकिन हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है। इससे आगे अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक खुशी की बात यह बताने लगा हूं किजब हम दिल्ली से रोहतक वाया सांपला होकर जाते हैं तो काफी दूर तक सड़क के दोनो तरफ पानी खड़ा रहता है, इस बारे हमने इस पानी के निकास के लिये एक बड़ी अच्छी योजना तैयार की है कि इस पानी को बहादुरगढ़ माइनर में डाल दें। 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत उस पानी को युटीलाइज भी किया जाएगा और पानी भी जमा नहीं हो सकेगा।

चौ. फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने का कश्ट करेंगे कि ड्रेन नम्बर 8 के पानी से 10/12 गांव जैसे मिंडावास, खेतावास, चिडवाना इत्यादि कई गांव ऐसे हैं जोकि सदा ही इफेकटिड रहते हैं और आज तक वहां पर पानी खड़ा हुआ है, क्या उस पानी को निकालने की सरकार की कोई स्कीम है ताकि लोगों को नुकसान न हो सके?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में मेरे नोटिस में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर कि पानी खड़ा रहता हो। आनरेबल मैम्बर कोई स्पेसीफिक केस हमारे नोटिस में लाएं तो हम पता करवा लेंगे।

राव अभय सिंह: अध्यक्ष महोदय, साहबी नदी पर बांध बनने के कारण जो पश्चिमी साइड के गांव हैं, वे फलडिड होने लग रहे हैं और उससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, बांध बनने से कोई नई समस्या पैदा हो गई है, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं। अगर सम्मानित सदस्य के नोटिस में कोई ऐसी बात है तो हमें बतलाएं, हम एग्जामिन करा लेंगे और लोगों की तकलीफ दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने अम्बाला के साथ मारकन्डा का जिक्र भी किया। 1975–76 में जिन गांवों में मारकण्डा ने असर किया है, वे गांव हैं खेड़ा, पपलोथा, साहका, तंदवाल, नूरहद, गन्दनेडी, काकरकुण्डा, गदौली सैला, शेरपुर और सुलखा। इसकी रोकथाम के लिये क्या सरकार के पास कोई स्कीम विचाराधीन है ताकि इन गांवों में मारकन्डा का पानी न जाए।

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से हम यह बात नहीं कर सकते कि इस बार पानी नहीं आए शायद इस वर्श इतनी भारी वर्शा न हो जितनी कि गत वर्श हुई थी। पानी तो इस व र्ा भी आयेगा लेकिन पहले से कम आयेगा। फिर भी हम यह यत्न करेंगे कि आहिस्ता–आहिस्ता इस पर कन्ट्रोल किया जा सके।

श्री के.एन.गुलाटी: अध्यक्ष महोदय, बल्लबगढ़ ब्लाक में एक सीकरी विलेज है वहां पर फलड के पानी से हमेशा नुकसान होता है क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई प्रबन्ध करने जा रही है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने एक स्पेसीफिक जगह के बारे में सवाल किया है, इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे।

Tour of Ministers

***1614. Ch. Dal Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state the names of places visited by Ministers, Ministers of State of Haryana while on tours during the financial year 1975-76 alongwith the dates of their visit and the purpose of each visit?

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): सूचना इक्कठी करने में जा समय तथा परिश्रम लगेगा, उससे कोई विशेश लाभ न होगा।

Participation of workers in the Managements

***1634. Ch. Mehar Chand**: Will the Minister for Transport be pleased to state the steps, if any, taken by the Government for the participation of workers in the Managements of various industries in the State?

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): The Scheme for Workers' participation in Industry has since been introduced in 43 industrial establishments out of 44 establishments covered under the scheme. The remaining one industrial establishment is also being persuaded to introduce the scheme.

चौ. मेहर सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा केरंगे कि किस हद तक वर्कर्ज की पार्टीसिपेशन है?

श्री के.एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, प्राईम मिनिस्टर साहिबा के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत, गवर्नमैंट आफ इंडिया की यह स्कीम थी कि हमारे यहां प्रोडक्शन बढ़े और सभी प्रान्तों में वर्कर्ज की पार्टीसिपेशन बढ़े और जहां 500 से अधिक वर्कज हैं ऐसे यूनिटस हमारे प्रान्त में 144 हैं, उनमें से 43 में यह स्कीम चालू हो चुकी है। शापस लैवल पर और प्लांटस लैवल दोनों जगहों पर पार्टीसिपेशन हो रही है और हमें इन यूनियन में से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है।

श्री गणपत राय: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चरखी दादरी सीमेंट फैक्टरी की जो मैनेजमैंट है वह बिल्कुल फेल हो चुकी है और वहां मजदूरों को 6–6 मास से तनखाहें नहीं मिली हैं तो क्या मजदूरों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार उस मैनेजमैंट को अपने हाथ में लेने का या मजदूरों के हाथ में देने का विचार रखती है?

श्री के. एल. पोसवाल: यह प्रश्न इस सवाल से उत्पन्न नहीं होता।

Mr. Speaker: It is a question of participation of workers and not of taking over the industry.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 44 में से 43 में वर्कर्ज की पार्टीसिपेशन हो गई है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक जो बचती है वह कौन सी फैक्टरी है?

श्री के. एस. पोसवाल: वह गवर्नमैंट आफ इंडिया प्रैस फरीदाबाद है। इसके लिये ऊपर से मंजूरी मांगनी पड़ती है और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में यह आ जाएगी।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फैक्टरी में मजदूरों की पार्टीसिपेशन से उनको क्या फायदा होगा?

श्री के. एल. पोसवाल: इससे प्रोडक्शन भी बढ़ती है और मैनेजमैंट और मजदूरों में तालमेल भी बढ़ता है।

Professional Tax in the State

***1641. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish professional tax in the State?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): No. Sir.

श्री के. एन. गुलाटी: इन दि लाइटआफ अमरजैसी जबकि लोग खुद ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो क्या इस छोटे से टैक्स को सरकार हटाने की कृपा करेंगे?

Sh. Shyam Chand: This tax was imposed before the emergency was announced.

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि प्रोफैशनल टैक्स अब कितनी आमदन तक लगता है?

Sh. Shyam Chand: The tax is levied at the following rates –

		Amount of tax
1	Where the total gross annual income exceeds Rs. 6000 but does not exceed Rs. 8500	Rs. 120
2	Where the total gross annual income exceeds Rs. 8500 but does not exceed Rs. 13500	Rs. 120
3	Where the total gross annual income exceeds Rs. 13500 but does not exceed Rs. 25000	Rs. 120

4	Where the total gross annual income exceeds Rs. 25000	Rs. 120

Procurement of Wheat

***1659. Sh. Jagjit Singh Tikka**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state –

(a) the total quantity of wheat brought to market in Haryana State during the year 1976-77 to-date together with the quantity of wheat procured so far; and

(b) the year in which the maximum quantity of wheat was procured in Haryana State so far?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a)	(i)	Mandi arrivals (upto 2.7.1976)	9.48 lac nes
	(ii)	Procurement (upto 2.7.1976)	8.97 lac tonnes
(b)		1976-77 years	

Loan of Scheduled Castes and Backward Classes from the Co-operative Societies

***1664. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the advancing of loan from Co-operative Societies to persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes has been stopped; and

(b) if so, since when together with the reasons therefore?

गृह तथा स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी):

(क) नहीं,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौ. शिव राम वर्मा: मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कर्जा बन्द नहीं हुआ है मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हरिजनों का तो बहुत दिनों से कर्जा बन्द किया हुआ है –

Mr. Speaker: You are giving information and not seeking it.

चौ. शिव राम वर्मा: मैं उनसे आगे इनफर्मेशन सीक कर रहा हूं। इन्होंने मेरे सवाल देने के बाद भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की मैं यज जानना चाहता हूं?

श्रीमती शारदा रानी: मुझे पूरी जानकारी है। कोआप्रेटिव सोसाइटीज द्वारा केवल मात्र हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज को ही कर्जा नहीं दिया जाता बल्कि इनसे एग्रीकल्चरल और नान–एग्रीकल्चरल ये दो प्रकार के कर्जे मिलते हैं। एग्रीकल्चरल जो कर्जा होताहै उसमें हरिजन भी आ सकते हैं और बैकवर्ड भी

आ सकते हैं। नान–एग्रीकल्चरल जो कर्जा है वह रूरल आर्टिजंज को दिया जाता है जिसमें आमतौर पर शिडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोग ही होते हैं। हरियाणा गवर्नमैंट ने एक रूरल इनडैटिडनैस को दूर करने का कानून बनाया था। उस समय कुछ जगहों पर इस कर्जे का मिसयूज होता था लोग उनसे दर्खास्तें दिला कर कर्जा ले लेते थे और उसका मिस यूज करते थे इस चीज को दूर करने के लिये कुछ दिनों के लिये फरवरी में यह बन्द कर दिया गया था कि रूरल आर्टिजंज को कोई कर्जा न दिया जाए। एग्रीकल्चरल लोन तो उस समय भी मिलता रहा है। उसके बाद 19–6 को फिर ये इंस्ट्रशंज जारी कर दी गई कि यह कर्जा फिर दिया जाए। चौ. शिव राम जी के जिले में इस दौरान में यानी 19–6 के बाद 18 लोगों को यह कर्जा दिया जा चुका है जोकि शिडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बताएंगे कि पहले तो कह दिया कि कोई लोन बन्द नहीं किया गया और अब मान गई हैं कि बन्द किया था, इसका क्या कारण है?

Mr. Speaker: Order please. The reply is that it was temporarily suspended.

श्रीमती शारदा रानी: मैंने यह कहा था कि शैडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लिये कोई कर्जा बन्द नहीं किया गया। रूरल आर्टिजंज के लिये कुछ दिन सस्पैंड किया था।

चौ. शिव राम वर्मा: बन्द करना सस्पैंड करना ही होता है। पहले जो आपने न की उसका क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, रूरल इनडैटिडनैस समाप्त करने का कानून पास होने के बाद कुछ लोग बैंकस या कोओप्रेटिव सोसायटीज के ऋण मिसयूज करने लगे थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिये ऋण देना सस्पैंड किया गया था ताकि इसका मिस यूज न हो। अब सितम्बर 1975 में सरकार ने आदेश जारीकिया है कि जो रूरल आर्टिजंज हैं जिनमें ज्यादातर हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं उनको शार्ट टर्म लोन दो हजार रूपये का दिया जाए जोकि एक साल में वसूल किया जाना जरूरी है। एक हजा रूपया मिड टर्म लोन देने के भी आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा देहाती दस्तकारों को 1.7.75 से 31.5.76 तक 56 लाख रूपया शार्ट लोन के तौर पर दिया गया। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज को और 44.89 लाख रूपया मिड टर्म लोन के रूप में 1. 7.75 से 31.5.76 तक दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि हरिजनों के लिये कर्जा देना बन्द कर दिया हो। यह मैंने आंकड़े पेश किये हैं कि इतना इतना रूपया हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज का दिया है।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जो कर्जा हरिजनों को दिया जाता है उसमें खाद भी देते हैं?

श्रीमती शारदा रानी: जी नहीं, उसमें खाद कोई सवाल नहीं है।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि को–आप्रेटिव सोसाइटीज हरिजनों को जो कर्जा देती हैं उसके साथ भी खाद दी जाती है।

श्रीमती शारदा रानी: अगर तो कर्जा एग्रीकल्चर परपज के लिये होता है तब तो चाहे हरिजन हो या नान हरिजन हो सबकों खाद दी जाती है। लेकिन जब रूरल आर्टिजंज को दिया जाता है तो उससे खाद का कोई संबंध नहीं है।

चौ. पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन हरिजनों को कर्जे दिये जाते हैं क्या उनको किसी जमीन वाले की जमानत भी देनी पड़ती है?

श्रीमती शारदा रानी: इस प्रकार की कोई जमानत नहीं देनी पड़ती।

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल बीच में रह गया कि पहले तो इन्होंने हाउस में कहा कि कोई कर्जा बन्द नहीं किया गया उसके बाद कहाकि कुछ समय के लिये ससपैंड किया गया था तो इन्होंने सदन से तथ्य को छिपाने का प्रयत्न किया है, इसका क्या कारण है?

श्रीमती शारदा रानी: मैंने कोई तथ्य छिपाने की चेश्टा नहीं की। इन्होंने शैडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के बारे में पूछा था और मैंने बताया था कि केवल उनका कोई कर्जा बन्द नहीं किया गया और एग्रीकल्चरल लोन इन चार–पांच महीनों के दौरान सभी को मिलता रहा हैं यदि शैडयूल्ड कास्टस ने डिमांड की तो उनको भी दिया गया।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जिलामहेन्द्रगढ़ में रूरल आर्टिजंज को शार्ट टर्म और मिड टर्म लोन कितने दिये गये हैं?

श्रीमती शारदा रानी: मेरे पास अलग–अलग आंकड़े नहीं हैं। इसके अलावा जो आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं वे 30 जून तक के किये जाते हैं और वह हमारे पास 31 जुलाई तक आते हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि अब भी वह कर्जा दिया गया है कि नहीं।

श्रीमती शारदा रानी: मैंने बताया है कि 19.6.76 से बिल्कुल खोल दिया गया और आपके जिले के कई लोगों को अब तक मिल चुका है।

Wheat Crops affected by Plant Diseases

***1604. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that any

variety of wheat crops has been affected by plant diseases or any other diseases during the current year; if so, the names of such diseases, extent of damages caused thereby and the areas mainly affected together with the precautionary measures taken for the protection of wheat crops and result thereof?

State Minister for Agriculture and Revenue (Ch. Surjit Singh Mann):

Yes, Kalyan Sona, Sonalika, HD 1552, HD 2009, WG-357, RR-21, C-306 and PV-18 varieties of wheat crop were affected by a disease known as loose smut of wheat during the year 1975-76. The extent of damage from this diseasevaried from districtto district and was in the range of 0.2 to 15%. The major areas affected were in the district of Ambala, Kurukshetra, Karnal, Jind and Sonepat. Loose smut of wheat is a seed borne fungal disease and its appearance is noticed at the time of caring and at that stage no plant protection measures are recommended. However, wheat seed treatment measure are being taken to reduce the incidence of disease in future.

चौ. शिव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि बीमारी लगने से गेहूं काजो नुक्सान हुआ है सरकार ने उसका अन्दाजा लगवाया कि कितने क्विंटल का नुक्सान हुआ है?

चौ. सुरजीत सिंह मान: स्पीकर साहब, मैंने पहले बताया है कि 0.2 परसैंट से 15 परसैंट तक नुकसान हुआ है ये खुद हिसाब लगा ले कि कितने क्विंटल तक बनता है।

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि किसानों को जो गन्दम की फसल का नुक्सान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई क्रोप इंश्योरेंस स्कीम जारी करने का इरादा है?

चौ. सुरजीत सिंह मान: स्पीकर साहब, क्रौप इंश्योरेंस की स्कीम तो हमने कोई नहीं जाी की लेकिन हम सीड को ट्रीट कर रहे हैं और नैक्स्ट इयर ट्रीटिड सीड किसानों को देंगे।

राव बंसी लाल: स्पीकर साहब जो हाइब्रिड सीड वजीर साहब ने बताए हैं इनमें कौन–कौन से ऐसे सीड हैं जिनको बीमारी कम लगती है?

चौ. सुरजीत सिंह मान: स्पीकर साहब, पहले तो कभी बीमारी नहीं लगी थी सिर्फ पिछले साल लगी थी। एच.डी. 1981 और कल्याण 227 को बीमारी नहीं लगती।

चौ. शिव राम वर्मा: इनमें से कौन से ऐसे सीड हैं जिनको बीमारी बिल्कुल नहीं लगती?

चौ. सुरजीत सिंह मान: स्पीकर साहब, एच.डी. 1981 में कोई बीमारी नहीं लगती और उसके बाद पी.बी. 18 में भी कम है और 387 में भी कम है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, कनक को बीमारी लगने से किसानों का बहुत नुक्सान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों की इमदाद करने के लिए कोई इरादा रखती है?

चौ. सुरजीत सिंह मान: हमने बताया है कि इस बीमारी का तब पता लगता है जब हवा लग जाती है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आगे के लिए कोई ऐसा प्रबन्ध कर लिया गया है कि गन्दम को कोई बीमारी नहीं लगेगी?

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): स्पीकर साहब, बताया तो है कि सीड को ट्रीट करके देंगे।

मलिक सतराम दास बत्तरा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जब यह बीमारी लगी थी तो आपके जिले के एग्रीकल्चर इंस्पैक्टर या और जरायत के महकमे के अधिकारियों ने कोई दवाई वगैरह छिड़काई थी?

चौ. सुरजीत सिंह मान: जब यह बीमारी लग जाती है तो इसका ट्रीटमैंट नहीं हो सकता और इस बीमारी का ट्रीटमैंट किसी के पास नहीं है।

Fair Price Shops in the State

***1615. Ch. Dal Singh**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state –

(a) the total number of Fair Price Shops in the State as on 31-3-1976;

(b) the details of commodities supplied to public through the Fair Price Shops in the State during the financial year 1975-76;

(c) The rates of commodities viz. wheat, atta, sugar, rice etc. at the Fair Price Shops as referred to in part (a) above during the financial year 1975-76;

(d) the total quantity of foodgrains and sugar etc. distributed to public through the Fair Price Shops as referred to in part (a) above during the financial year, 1975-76;

(e) the total number of depot cancelled in the State during the financial year 1975-76;

(f) the total number of persons convicted in connection with the distribution of ration on fair price shops in the State against whom the cases were registered during the financial year, 1773-74, 1774-75 and 1775-76, separately?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) 4321.

(b) Wheat, Wheat atta, Sugar and Rice.

(c) Information is laid on the table of the House.

(d) The following quantities of foodgrains and sugar were distributed through these Fair Price Shops during 1975-76:-

(i)	Wheat	4403 tonnes
(ii)	Wheat atta	11981 tonnes
(iii)	Rice	13025 tonnes
(iv)	Sugar	53473.4 tonnes

(e) 379

(f)	(i)	1973-74	13
	(ii)	1974-75	43
	(iii)	1975-76	16

Informatio in regard to Part 'C'

Rates of Wheat, Atta, Rice and Sugar at Fair Price Shops during financial year 1975-76:-

(i)	Wheat		Rate per quintal Rs.
		From 1.4.75 to 29.4.75	136

		From 30.4.75 to 18.1.76	137
		From 19.1.76 to 31.3.76	132
(ii)	Wholemeal Atta		Rs.
		From 1.4.75 to 29.4.75	142
		From 30.4.75 to 18.1.76	144
		From 19.1.76 to 31.3.76	140
(iii)	Rice		Rs.
	Rice Begmi	From 1.4.75 to 29.4.75	174
	Rice Basmati Oridinary	From 30.4.75 to 18.1.76	210
	Rice Superior Basmati	From 19.1.76 to 31.3.76	275

Note:- 1. Following charges are added over above the retails rates.

(i) Market fee at the rate of Rs. 2 per hundred rupees in case of stocks or wheat transferred from one market area to another.

(ii) Octroi at the rate of Rs. 0.50 per quintal chargeable only in Ambala Cantt. Board area.

(iii) Extra transport charges (over and above those provided inthe retail margin) are added in cases where stocks are moved from mill/Govt. godown stations to the villages in the interior and these charges vary from place to place.

(iv) Sugar

From 1.3.75 to 31.3.76 Rs. 215 per quintal.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, पार्ट (सी) के जवाब में वजीर साहब ने बताया है कि आटे का रेट 136 रूपये क्विंटल है और सनृ 1975 में 137 रूपये क्विंटल था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप किसान से 105 रूपये के रेट से गन्दम लेते हैं तो गरीबों को इतने मंहगे रेट पर क्यों देते हैं?

Sh. Shyam Chand: Rs. 105 is the support price as has been fixed by the Government of India. We make the procurement on behalf of the Food Corporation of India and we get the wheat from the Food Corporation of India at an issue price of Rs. 125 per quntal.

चौ. फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मैं मंत्री साहब की जानकारी के लिए और उनसे पूछना चाहता हूं डालडे का भाव

बढ़गया हैं चीनी का भाव भी 5.25 रूपये और दाल भी 5 रूपये बिकने जा रही है। इसका क्या कारण है?

Mr. Speaker: Order Please. This is not a supplementary to this question.

चौ. दल सिंह: वजीर साहब ने जवाब में बताया है कि जब स्टाक एक मंडी से दूसरी जगह से जाया जाता है तो उस पर एक्स्ट्रा ट्रांस्पोर्ट का खर्चा पड़ कर कुछ रेअ ज्यादा हो जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि जींद कि मार्किट से गंदम खरीद कर जब वहां फेयर प्राइस शांप पर बेची जाती है तो उसका इतना ज्यादा रेट क्यों लगाया जाता है?

श्री श्याम चन्द: इसके कारण मैंने बता दिए हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: फेयर प्राइस शाप्स का उदेश्य है कि उचित रेट पर चीजें मिलें तो पूछना चाहता हूं कि भाव जो ऊपर जा रहे हैं उनको चैक करने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

Sh. Shyam Chand: The Government has taken several measures to control inflation in price like increase in the bank rates and certain other measures.

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, प्रोक्योरमेंट प्राइस बैस्ट क्वालिटी व्हीट की 105 रूपये है और दूसरी गन्दम सरकार कम

रेट पर भी प्रोक्योर करती है तो क्या वजीर साहब बतायेंगे कि एक क्विंटल पर उनके इंसीडेंटल चार्जिज क्या हैं?

Sh. Shyam Chand: The market fee as also the Sales Tax.

श्री के.एन. गुलाटी: फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में जितने सिविल सप्लाई के कार्ड रजिस्टर्ड हैं उनके यूनिटस के हिसाब से उन्हें 25 प्रतिशत शूगर कम मिलती है। क्या मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

Sh. Shyam Chand: Sir, we will get it checked.

चौ. रिजक राम: क्या मंत्री जी यह फरमायेंगे कि गवर्नमैंट अपनी ऐजैन्सी की मारफत जो प्रोक्योर करती है वह एफ. सी.आई. को देकर दुबारा खरीदती है?

Sh. Shyam Chand: Yes, Sir.

चौ. पीर चन्द: स्पीकर साहब, प्रोक्योरमैंट प्राईस में और इशू प्राईस में बड़ा डिफरैन्स है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि गेहूं को जो खरीदने–बेचने में शार्टेज हो जाती है उसकी वजह से तो डिपु होल्डर से ज्यादा कीमत नहीं ली जाती?

Sh. Shyam Chand: So many factors are there. एक तो उसमें सेल्ज टैक्स लगता है। दूसरे मार्किट फीस इंसिडैन्टल चार्जिज और ट्रांसपोर्ट चार्जिज लगते हैं। फिर एफ.सी.आई. के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी शामिल होती है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि फेयर प्राईस शाप्स के ऊपर जो शूगर दी जाती है वह सन् 1971 की मर्दमशुमारी पर दी जाती है या जितने कार्डज बने हुए हैं उनके मुताबिक दी जाती है?

श्री श्याम चन्द: वह 1971 की आबादी पर मिलती है। जो प्रैजैन्ट आबादी है उसके ऊपर उसको ब्रेक–अप करते हैं।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, ने अभी बताया कि अपनी एजेन्सी की मारफत जो गवर्नमैंअ खुद प्रोक्योर करती है उसे वह एफ.सी.आई. को बेचती है और उनसे दुबारा जब वह लेती है तो 125 रूपये क्विंटल गवर्नमैंट को देते हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गवर्नमैंट खुद प्रोक्योर करती है उस पर उनके इंसिडैन्टल चार्जिज क्या हैं?

Sh. Shyam Chand: Sir, we procure on behalf of the F.C.I. इंसिडैन्टल चार्जिज का जहां तक ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले बताया उसमें मार्किट फीस आती है, सेल्ज टैक्स भी आता है, बोरी की कीमत भी शामिल होती है, लेबर चार्जिज भी है और कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वह भी उस पर लगती है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, आटे का भाव 144 रूपये क्विंटल है जबकि कनक का भाव 137 रूपये क्विंटल है। क्या मंत्री जी फरमायेंगे कि 7 रूपये का डिफरैन्स क्यों है जबकि पिसाई पर दो तीन रूपये लगते हैं?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, शहर में 6 रूपये क्विंटल पिसाई है। चौ.दल सिंह जी को शायद इस बात का पता नहीं क्योंकि यह तो पिसा–पिसाया खाते हैं। (हंसी)

लाला रूलिया राम: स्पीकर साहब, देखने में आया है कि आबादी के लिहाज से एक गांव का जितना कोटा बनता है उससे कम दिया जाता है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसकी कया वजह है?

श्री श्याम लाल: मेरे नोटिस में कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आनरेबल मैम्बर शिकायत करेंगे तो इंक्वायरी करवा देंगे।

चौ. रिजक राम: क्या मंत्री जी फरमायेंगे कि डिपोज पर जो आटा 144 रूपये क्विंटल सप्लाई करते हैं वह रिजल्टैन्ट आआ है या होल मील आटा है?

श्री श्याम चन्द: वह होल मील आटा है। रिजल्टैन्ट आटा दूसरी स्टेटस में भेजते हैं जहां शार्टेज होती है।

मलिक सतराम दास बत्तरा: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि सल्फर चीनी और दूसरी चीनी के भाव में 120 रूपये का डिफरैन्स होने के कारण आम डिपुओं परजो सल्फर चीनी का प्रयोग करते हैं उसकी कोई इंक्वायरी की गई?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, जहां से भी कोइ ऐसी कंप्लेन्ट आई है किसी डिपो के बारे में वहां हमने इंक्वायरी

करवाई है और इस क्वैश्चन के जवाब में जो यह बताया गया है कि इतने डिपोज कैन्सल किए हैं और सिक्योरिटी फोरफिट की है, वह मैनली चीनी के बारे में है।

चौ. फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, चीनी के, दाल के और दूसरी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं और कहा जाता है कि सैन्टर इन भावों को कंट्रोल कर रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह राज्य सरकार के अख्तियार में नहीं है कि वह इन चीजों की कीमत ठीक स्तर पर रखे?

श्री श्याम चन्द: दाल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, डालडा पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन शूगर कन्ट्रोल प्राईस पर मिलती है।

Mr. Speaker: There are certain items. जो फेयर प्राईस शाप्स पर डिस्ट्रिब्यूट होती है, सब आइटम्ज वहां डिस्ट्रिब्यूट नहीं होती।

चौ. दल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि फेयर प्राईस शाप्स कितने परसैन्ट आबादी को कवर करती है?

श्री श्याम चन्द: सारी आबादी कवर होती है फेयर प्राईस शाप्स से।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, इनकी फेयरप्राईस शाप्स तो केवल 4321 हैं लेकिन ये कहते हैं कि सारी आबादी कवन होती है। How strange this is?

Mr. Speaker: No arguments please. Next question.

Apprenticesship Schemes

***1635. Ch. Mehar Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state the details of apprenticeship schemes put into operation to enlarge the scope of employment for educated unemployed in the State?

State Minister for Development and Local Government (Ch. Gordhan Dass Chauhan):

A statement is placed on the table of the House.

STATEMENT

Under the Apprenticeship Scheme being run by the Industrial Training Department, apprentices are engaged in 103 designated trades in the public and private sector establishments, as per provisions of the Apprentices Act, 1961. The aim of the scheme is to equip the apprentices for gainful employment on successful completion of their tranining. The duration of apprenticeship varies from one to four years according to the nature of trade. If a I.T.I. trained person is taken as an apprentice, the period of his training in

the I.T.I. is reduced from the total period of his apprenticesship. During the apprenticeship the apprentices are paid stipend at the following rates by the establishments where they are receiving apprenticeship training :-

	Rs.
During the 1st year	130 p.m.
During the 2nd year	140 p.m.
During the 3rd year	150 p.m.
During the 4th year	200 p.m.

The trained apprentices receive preference over untrained persons in the matter of employment. The Apprenticeship Scheme thus helps in enlarging the scope for employment of educated unemployed.

Ch. Mehar Chand: Will the hon. Minister kindly state the employment provided to them?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): स्पीकर साहब, 103 किस्म के ट्रेड हैं जिनमें टैक्निकल ट्रेनिंग देकर उनको ऐम्पलायमैंट दी जाती है।

श्री गिरीश चन्द जोशी: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐप्रैंटिस अलाउंस कितना थर्ड इयर में 150 रूपये और फोर्थ इयर में 200 रूपये।

श्री जगदीश सिंह टिक्का: क्या मंत्री जी बताएंगे कि ऐप्रैन्टिसशिप करने के बाद ऐम्पलायमैंट के लिए उनको क्या–क्या सहूलियत दी जाती है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अभी तक जो कानून है उसके लिहाज से ट्रेनिंग के बाद मैनेजमैंट की मर्जी है कि उसको ऐम्पलायमेंट दे या न दे लेकिन अब गवर्नमैंट ऑफ इंडिया इस बात को कंसिडर कर रहा है कि इस ऐक्ट को अमैंड कर दें और जो ट्रेनिंग ले लें उसको ऐम्पलायमैंट देना ऐस्टैब्लिशमैंट को आबलगैटरी हो जाए। यह अमैंडमैंट होने जा रही है।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस स्कीम के तहत कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनमें शिडयूल्ड कास्टस कितने हैं?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसमें फिफथ फाईव ईयर प्लान का टारगैट तीन हजार का था लेकिन पिछले साल दिसम्बर तक हमने 3800 की प्लेसमेंट कर दी है। जो टारगेट हमने दो साल बाद पूरा करना था वह हमने अब पूरा कर दिया है। इनमें शडयूल्ड कास्टस 192, शडयूल्ड ट्राइब्ज 9, बैकवर्ड 235,

फिजिकली हैंडिकैप्ट 7, मान्योरिटीज के 79 और वीकर सैक्शंज के 297 हैं।

श्री गिरीश चन्द जोशी: क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसमें सिर्फ आई.टी.आईज. से ट्रेनिंग लिए हुए ट्रेनीज को लिया जाता है या फ्रैशर्ज को ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है लेकिन आई.टी.आई. वालों को कम लेनी पड़ती है।

चौ. मेहर चन्द: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का पूरा जवाब चूंकि नहीं आया इसलिए मैं फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आनरेबल मिनिस्टर यह बतायेंगे कि यह ऐम्पलायमैंट जो दी जाती है यह गवर्नमैंट खुद देती है या फैक्टरीज में दिलाती है?

श्री हरपाल सिंह: फैक्टरीज में ऐपलायमैंट दिलाई जाती है।

चौ. रिजक राम: फैक्टरीज तो गवर्नमैंट की भी हैं।

श्री हरपाल सिंह: उनमें भी दिलाई जाती है।

चौ. फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पहले ट्रेनिंग अलाउंस क्या था और अब क्या है? इसके अलावा क्या वे यह भी बताएंगे कि हरिजनों के जो कम लड़के आए हैं उनका नम्बर बढ़ाने की कोशिश करेंगे?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पहले इसमें स्टाइपैंड 90 रूपये पर–मंथ पहले साल में था, दूसरे साले में 100 रूपये

था, तीसरे साल में 108 रूपये और चौथे साल में 144 रूपये था। अब रिवाईज होकर के यह पहले साल में 130 रूपये, दूसरे साल में 140 रूपये, तीसरे साल में 150 रूपये और चौथे साले में 200 रूपये हो गया है।

चौ. पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो लड़के ट्रेनिंग करके निकलते हैं, उनको गवर्नमैंट नौकरी देती है? (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please. Reply has come.

चौ. अमीर चन्द कक्कड़: क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि एप्रैन्टिस ट्रेनिंग के बाद अगर कोई ट्रेनी अपना काम करना चाहे तो क्या उससे स्टाईपैंड रिकवर किया जाता है।

श्री हरपाल सिंह: नहीं, उससे स्टाईपैंड रिकवर नहीं किया जाता।

Milk Plant at Uchagaon (Ballabgarh)

***1642. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Finance be pleased to state –

(a) the date on which the construction work of the Milk Plant at Uchagaon (Ballabgarh) was started;

(b) the time by which the construction work of Milk Plant referred to in part (a) above is likely to be completed; and

(c) the time by which the sale of Milk, Ghee and butter of the aforesaid Milk Plant is likely to be started?

State Minister for Agriculture & Revenue (Ch. Surjit Singh Mann):

(a) The construction work was started in March, 1974.

(b) The Plant is expected to be completed around March, 1977.

(c) The Plant will not make ghee or butter, but marketing of other produces will commence after it goes into production.

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह प्लांट सन् 1974 में चालू किया गया और मार्च सन् 1977 में कम्पलीट होगा, इस देरी का क्या कारण है?

चौ. सुरजीत सिंह मान: इसका कारण यह है कि हमें बैक्स का लोन जनवरी 1976 में सैंक्शन हुआ। 63 लाख रूपया इंडियन ओवर सीज बैंकस से जनवरी 1976 में मिला है तो हम इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट करेंगे।

राव बंसी लाल: इसके कम्पलीट करने पर कितना खर्चा आयेगा?

चौ. सुरजीत सिंह मान: 87 लाख रूपया आयेगा।

"Nadi"

Near Village Bagmali

***1654. Sh. Jagjit Singh Tikka**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact thata "Nadi" near village Bagmali in Tehsil Naraingarh of District Ambala is changing its course and trying to pass through a very small culvert after leaving the main bridge on Haryana State Highway;

(b) if so, whether the small culvert has the capacity of passing the whole water of the said "Nadi";

(c) whether there is any danger to the said road from the water of the said "Nadi"; and

(d) the time by which the water of the "Nadi" will be stopped from crossing through the small culvert and will be diverted to pass through the main bridge of the "Nadi".

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) There is a tendency for the main stream to pass through the spill-way bridge.

(b) No.

(c) Not at present; and

(d) Work on training of stream is already in progress.

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको जो पक्का किया जायेगा या किया जा रहा है उन पर मिट्टी ही लगायी जायेगी या साइड पर पत्थर भी लगाए जायेंगे?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि पानी वहां कर न ले जाये।

श्री अमीर सिंह: स्पीकर साहब अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में यह बताया कि ''नान एट प्रेजेंट'' तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भविश्य में इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रबन्ध किया जायेगा?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। जब दरिया का पानी बहता है तो थोड़ा–बहुत इधर–उधर हो जाता है लेकिन उसके लिए स्पिल–वे–ब्रिज बनाया गया और लैफट लोअर बैंकस को मजबूत किया जा रहा है।

Cost of Production of Wheat, Rice, Sugarcane, Cotton and Barley

***1665. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether the Government has obtained any information from the Agricultural Universities or from any

other sources about the cost of production of wheat, rice, sugarcane, cotton and barley; and

(b) If so, the details of the cost of production of the commodities referred to in part (a) above?

State Minister for Agriculture & Revenue (Ch. Surjit Singh Mann):

(a) No.

(b) Does not arise.

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय मैंने अपने सवाल में यह पूछा था कि क्या गेहूं, चावल, गन्ना, कपास और जौ की पैदावार की लागत किसी विश्वविद्यालय या अन्य सोर्स से जानने का प्रयत्न किया है? मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि ''नहीं'' तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं की?

चौ. सुरजीत सिंह मान: प्रयत्न तो हमने जरूर किया। प्राइस कमीशन को हमने अपनी प्राइस भेजी थी। हमने ज्यादा से ज्यादा प्राइस लिखकर भेजी थी। हमने 124 रूपये 21 पैसे भेजी थी लेकिन हमें 105 रूपये स्पोर्ट प्राइस ही मिली।

श्री जगदीश सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो 124 रूपये आपने भेजी थी उसमें कास्ट आफ प्रोडेक्शन भी शामिल थी?

चौ. सुरजीत सिंह मान: 124 रूपये में कास्ट आफ प्रोडक्शन भी शामिल है और 105 रूपये तो स्पोर्ट प्राइस मुकरर्र की गई है। इसमें दूसरे चार्जिज भी शामिल हैं, 15 परसैन्ट मैनेजमेंट चार्जिज हैं, दो परसैन्ट ट्रांसपोर्ट चार्जिज हैं और साथ ही इन्ट्रैस्ट भी इन्कलूड है।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब खुद कास्ट आफ प्रोडेक्शन 124 मानते हो तो फिर किसान को 105 रूपये कीमत क्यों देते हो?

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है कि किसान के हित को दृश्टि में रखते हुए ताकि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कृशि विभाग से यह कहा था कि एग्रीकलचर प्राइस कमीशन के सामने जाने से पहले हमें रेट वर्क आउट करके बतलाओ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेट फिक्स करवा सकें। उस वक्त एग्रीकलचर डिपार्टमैंट ने रेट आफ प्रोडेक्शन वर्क आउट रेट फिक्स करवा सकें। उस वक्त एग्रीकलचर डिपार्टमैंट ने रेट आफ प्रोडेक्शन वर्क आउट करके दिया जिसमें इनवैस्टमैंट पर ब्याज, मैनुअल लेबर और जमीन का किराया इत्यादि ये तमाम चीजें इनक्लूड करके 124 रूपया पर–क्विंटल के हिसाब से कास्ट आफ प्रोडेक्शन बतलायी थी। इसी प्रकार से हमने ये प्राइस कमीशन को लिखकर भेजी थी और साथ ही इस बात के लिए काफी कोशिश भी की थी कि ज्यादा भाव मिलें लेकिन तमाम भावों का फैसला

राश्ट्रीय स्तर पर हुआ था। राश्ट्रीय स्तर पर भाव 105 रूपये फिक्स किया गया। फैसला लेते वक्त जहां किसान और प्रोडयूसर का ख्याल रखा गया वहां कनज्यूमर का भी ध्यान रखा गया। जो फैसला राश्ट्रीय स्तर पर हुआ हो उसको तो हमें भी मानना पड़ेगा।

चौ. शिव राम वर्मा: मैंने अपने सवाल में पांच चीजें पूछी थीं चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और जौ तो उन्होंने कास्ट आफ प्रोडेक्शन 124 रूपये बतायी तो क्या व सभी चीजों पर लागू है?

चौ. सुरजीत सिंह मान: यह तो गेहूं को मिसाल के तौर पर बताया है।

श्री जगदीश सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि कोई और भी ऐसी चीज है जो फैक्टरी में बनती हो और वह कास्ट आफ प्रोडेक्शन से कम भाव पर बिक रही हो?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने निवेदन किया है उससे यह बात बिल्कुल स्पश्ट नहीं है कि जो हमने वहां पेश किया था वह ऐक्चुअल कास्ट आफ प्रोडेक्शन है। जिस आधार पर हम प्राइस फिक्स करवाया चाहते थे, उस प्राइस का जिक्र किया गया है।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यहां पर जो कास्ट आफ प्रोडेक्शन का जिक्र आ रहा है, अगर

सरकार 105 रूपये स्पोर्ट प्राइस फिक्स नहीं करती तो क्या यह बात सही नहीं है कि गेहूं मार्किट में 80 रूपये बिकता?

चौ. सुरजीत सिंह मानः यह सही है।

चौ. रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो 105 रूपये से कम भाव पर गेहूं बिका है यह उसी हालत में बिका है जब आपने स्टेट से बाहर नहीं जाने दिया, अगर जोनल सिस्टम न हो तो फिर क्या पोजीशन होती?

चौ. सुरजीत सिंह मानः इस साल तो 80 रूपये ही बिकता चाहे आप बाहर भेजते या स्टेट के अन्दर अपने गेहूं को बेचते।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द): चौ. रिजक राम जी की जानकारी के लिए मैं जरा और क्लेरीफायी कर दूं। इस साल राजस्थान और यू.पी. में जो हमारी नजदीक की स्टेट हैं वहां से हरियाणा में गेहूं आया है क्योंकि वहां पर तो लैवी सिस्टम है। लैवी सिस्टम में जिता गेहूं फार्मर के जिम्मे लगता है वह उसको देना पड़ता है और वह सारा एफ.सी.आई. ने लिया है। जो सरप्लस था वह अस्सी और 85 रूपये के भाव में बिका। उसका नतीजा यही है कि बाहर से गेहूं आया जिसको हमें बन्द करना पड़ा। अगर जोनल सिस्टम की रोकथाम नहीं होती तो में यह कह सकता हूं कि 80 रूपये से ज्यादा प्राइस न मिलती।

मैं यहां सदन की इन्फर्मेशन के लिए यह भी बता दूं कि पिछले तीन साल में पैडी का क्या भाव हरियाणा में रहा। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने 76 रूपये भाव फिक्स किया लेकिन हमारे यहां 96 रूपये पैडी बिकी। करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला के मैम्बर यहां बैठे हुए हैं वे इस चीज को महसूस करेंगे कि सन् 1974 में हमारे फारमर को पैडी से पांच करोड़ रूपया ज्यादा पंजबा और यू.पी. के फार्मर से मिला है। इसी तरह से पिछले साल भी चार करोड़ रूपया पैडी से ज्यादा मिला है। 1976 में भी हमारे फार्मर को पंजाब की तुलना में 10 करोड़ ज्यादा मिलने की आशा है। इस साल भी नजदीक की स्टेटस में 80 और 85 रूपये का भाव है तो हमने अब भी 102 रूपये और 105 रूपये खरीदा है।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अभी–अभी जो बात कही है उस बात को कह कर क्या ये अपने केस को केन्द्रीय सरकार के सामने कमजोर नहीं कर रहे हैं? क्या इससे पैदावार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा?

श्री श्याम चन्द: यह तो डिमांड और सप्लाई पर डिपैन्ड करता है।

Mr. Speaker: Please put a suplementary in the form of a question.

चौ. शिवराम वर्मा: स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहात हूं कि गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और जौ

की पैदावार पर कितनी–कितनी लागत आती है यानी क्या कास्ट आफ प्रोडेक्शन आती है?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

चौ. मेहर चन्द: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो सरकारी एग्रीकलचर फार्म हैं, क्या सरकार उनको गाइड लाईन के तौर पर इन्स्ट्रक्शन इशू करेगी कि जो वैरियस क्राप्स वे पैदा करते हैं उनकी कास्ट आफ प्रोडेक्शन का हिसाब रखें?

चौ. सुरजीत सिंह मान: जरूर कोशिश करेंगे।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसान सिर्फ बेचता तो अनाज है और वह कम से कम 153 आइटम खरीदता है क्या उन 153 आईटम्ज में से एक भी ऐसा आइटम है जो किसान को उस आइटम की कास्ट आफ प्रोडक्शन पर सप्लाई किया जाता हो। दूसरी बात यह है कि क्या यह ठीक नहीं है कि अनाज का भाव जेा 105 रूपये रखा है उसका कारण यह है कि किसान न होल्ड कर सकता है, न फारेन कन्ट्रीज को एक्सापोर्ट करने की इजाजत है। स्पीकर साहब, मैं इसे और साफ कर देता हूं। किसान को उसकी उपज की जो कास्ट मिलती है क्या उसका यह कारण नहीं है कि गवर्नमैंट की अनाज की मार्किटिंग पर रिस्ट्रिक्शंज हैं? (व्यवधान)

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

चौ. पीर चन्द: स्पीकर साहब, अगर अनाज को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने की छूट दे दी जाए तो उसकी कीमत 80 रूपये हो जाए और 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्डर गरीब आदमी की जो मदद की जानी है वह प्रोग्राम भी सफल हो जाए। क्या मंत्री महोदय कनक की मूवमैंट पर से प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर गौर करने की कृपा करेंगे?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

Mr. Speaker: Order please. No more question. The Question Hour is over please.

अतारांकित प्रश्न एंव उत्तर

Tahsildars, Naib-Tahsildars and Kanungos in the Revenue Department.

506. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the districts-wise total number of Tahsildars, Naib-Tahsildars and Kanungos, separately, working in the Revenue department of the State as at present; and

(b) the districts-wise number and names of Tahsildars, Naib-Tahsildars and Kanungos suspended, dismissed or removed from service, separately, during teh financial years 1974-75 and 1975-76?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा):

(ए) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है:–

	जिला	तहसीलदार	नायब तहसीलदार	कानूनगो
1	अम्बाला	3	9	129
2	कुरूक्षेत्र	3	6	14
3	करनाल	2	5	17
4	सोनीपत	2	4	12
5	रोहतक	3	7	15
6	हिसार	4	7	26
7	सिरसा	2	5	12
8	भिवानी	4	5	20
9	गुड़गांव	4	12	24
10	जीन्द	3	6	16
11	महेन्द्रगढ़	3	7	15

(बी) वर्श 1974–75 में जिला करनाल में तहसीलदार, जिला अम्बाला में दो तथा करनाल, हिसार व गुड़गांव में एक–एक नायब तहसीलदार, जिला हिसार, भिवानी तथा गुड़गावं में एक एक कानूनगो को निलम्बित किया गया। इस वर्श में किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व कानूनगो को बरखास्त व डिसमिस नहीं किया गया।

वर्श 1975–76 में गुड़गांव के एक तहसीलदार को डिसमिस किया गया तथा एक नायब तहसीलदार को निलम्बिल किया गया। निलम्बित किए गए, बरखास्त किए गए और डिसमिस किए गए व्यक्तियों के नाम देना लोक–हित में नहीं है।

Jails visited by Minister for jails

507. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to State the total number of visits made by the Minister for Jails to the various jails in the State during the financial year 1974-75 & 1975-76?

परिवहन मंत्री (श्री. के.एल. पोसवाल):

1974–75	(1)	जिला जेल, करनाल	एक बार
	(2)	जिला जेल,	एक बार

		गुडगांव	
1975—76	कोई नहीं		

Jails visited by the Inspector General of Prisons

508. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to State the total number of visits made by the Inpsector General of Prisons, Haryana, to the various Jails in the state during the financial year 1974-75 & 1975-76?

परिवहन मंत्री (श्री. के.एल. पोसवाल):

1974—75	45 बार
1975—76	49 बार

I.A.S. Officers in the State

519. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of I.A.S. Officers in the State as at present?

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): इस समय राज्य में आई.ए.एस. अधिकारियों की कुल संख्या 92 है (इनमें 11 ऐसे अधिकारी भी शामिल है, जो कि राज्य में विभिन्न कारपोरेशन्ज, बोर्डज इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर हैं, 2 वे अधिकारी भी शामिल

हैं जो विदेश में प्रशिक्षण के लिए गए हुए हैं, और 6 वे अधिकारी भी शामिल हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकैडमी आफ एड मिनिस्ट्रेशन, मसूरी में प्रशिक्षण पा रहे हैं।)

वर्श 1976–7 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त)

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमान

Mr. Speaker: Hon. Member who wish to raise discussion on Charged items may please do so.

(No member rose to speak).

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice and in order to save the time of the House, all the Demands appearing on the order Paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon. Members can raise discussion on these demands but while speaking they will have to indicate the demand number on which they want to raise discussion.

Guillotine wil be applied at 6 O'clock.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 250000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 165000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1200000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4003400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3080000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitatin.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 247887000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13866000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5375000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 652260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2882830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2500000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State-Government.

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब, हाउस के सामने 1976–77 वर्श की सप्लीमेंटरी डिमांडज की फर्स्ट इंस्टालमेंट प्रस्तुत है। इसमें 28 करोड़, 20 लाख 54 हजार, 660 रूपए की कुछ डिमांडज हैं। स्पीकर साहब, अगर किसी सरकार का प्रोग्राम देखना हो, अगर किसी पार्टी का प्रोग्राम जानना हो तो बजट उसका नक्शा होता है और इस समय जो सप्लीमैंटरी डिमांडज पेश की जा रही हैं उस 28 करोड़ में से 24 करोड़ 78 लाख, 87 हजार की जो रकम है वह इरिगेशन के लिए सरकार ने

मांगी है। यह रकम सरकार ने इरिगेशन के लिए क्यों मांगी है इसका कारण यह है कि सरकार चाहती है और 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्डर भी यह ह कि ऐग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदेश है और यहां की 80 प्रतिशत आबादी कृशि पर डिपेन्ड करती है। ऐग्रीकल्चर का बढ़ावा देने के लिए पाानी एक अहम चीज है और ज्यादा से ज्यादा पानी मुहैय्या करने के लिए सरकार ने इतनी रकम मांगी है ताकि इरिगेशन ज्यादा हो। इसके लिए मैं सरकार का बधाई देता हूं। सरकार की हर मुमकिन कोशिश है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी सप्लाई किया जाए। इसके अलावा और जो आइटम है वह सोशल वैलफेयर या आईटम यानी आम जनता की भलाई के लिए पैसा मांगा गया है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में इंफरमेशन एंड पब्लिसिटी एक आइटम है इसके लिए 1 लाख, 65 हजार रूपया मांगा गया है। स्पीकर साहब, कलकत्ता के अन्दर एक ऐग्जीबीशन लगी थी उसमें हरियाणा की भी एक पंडाल था। मैंने भी उस एग्जीबीशन को देखा था। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा का जो पंडाल था वह दूसरे प्रदेशों के पंडालों से सबसे अचछा था और जिसने भी वहां पंडाल देखा उसी ने बहुत तारीफ की। उस पंडाल के सारे बंगाल के अन्दर हरियाणा की काफी पब्लिसिटी हुई। स्पीकर साहब, यह पैसा एक अच्छे काज के लिए खर्च किया गया है जिससे हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है। इसके अलावा स्पीकर साहब, अर्बन डिवैल्पमेंट के लिए 40 लाख, 3 हजार 400 रूपया मांगा गया है। मुख्यमंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं उनके नोटिस में

लाना चाहूंगा कि अर्बन डिवेलपमेंट के लिए यह रकम थोड़ी है। ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरेन्डम में लिखा हुआ है कि यह पैसा म्युनिसिपल्टीज के डिवैलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अर्बन डिवेलमेंट के लिए आक्ट्राय शिडयूल डिविजन का मामला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि म्युनिसिपल कमेटीज की फाइनेंशल पाजीशन अच्छी हो। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि आक्ट्राय शिजयूल डिविजन का जो मैटर उनके पास है उसको जल्दी से जल्दी फैसला करें ताकि म्युनिसिपल कमेटीज के पास धन आ सके और डिवैलपमैंट के काम में तेजी आ सके।

इंडस्ट्रियल डिवैलपमैंअ के लिए 1 करोड़, 38 लाख, 66 हजार रूपया 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्डर खर्च किया जाएगा। हमारा प्रदेश हैडलूम को बढ़ावा देना चाहता है और सरकार के हैंडलूम ऐसा आईटम रखा है जिससे कि वीकर सैक्शन आफ दि सोसायटी जिसका गुजारा इस इंडस्ट्री पर है, उनको रोजगार मिल सके। हमारे प्रदेश में पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री का सैन्टर है और यहां पर हैंडलूम बहुत तरक्की पर है। सप्लीमेंटरी डिमांडस के अन्दर हैंडलूम को एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक आइटम रखा गया है। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार ने रख है ताकि हरियाणा के अन्दर जो गरीब जनता है उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सके।

इसी तरह से 30 लाख 80 हजार रूपया सोशल वैलफैयर तथा रिहैबलीटेशन के लिए रखा है। इसमें से 8 लाख 80 हजार रूपया तो देहात के अन्दर शिडयूल्ड कास्टस की चौपाल बनाने तथा उनकी रिपेयर करने के लिए मांगा गया है। स्पीकर साहब, उनकी शक्ति नहीं होती कि वे चोपाल्ज की रिपेयर कर सकें। सरकार ने यह पैसा देकर उनकी मदद की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्डर शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को मुफ्त प्लाट दिए जाने थे और प्लाट शामलात लैंड में से दिए जाने थे। जहां पर शामलात लैंड अवेलेबल नहीं थी वहां पर जमीन एक्वायर की गई। इस काम पर खर्च करने के लिए सरकार ने 22 लाख रूपया मांगा है। यह भी बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहती हूं और स्पोर्ट भी करता हू।

15.00 बजे

इस तरह से सरकार ने 25 लाख रूपए की रकम उन एरियाज में लोगों को तकावी लान देने के लिए मांगी थी जहां पिछले दिनों हेल स्टार्म की वजह से नुक्सान हुआ। 25 लाख रूपए मांगने के लिए मुझे एतराज नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह रकम कम है और नुक्सान कहीं ज्यादा हुआ है। सरकार को ज्यादा मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्लीमेंटरी डिमांडज में तीन जिलों अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल का नाम आया है। इसमें हिसार का नाम नहीं है। स्पीकर साहब, मैंने खुद एज ए प्रेजीडेन्ट

कांग्रेस कमेटी हिसार के देहातों का दौरा किया और अपनी आंखों से देखा कि लोगों ने जो कपास बीजी हुई थी वह बहुत से देहातों में खत्म हो गई और जो गेहूं तथा दूसरा अनाज खेतों में पड़ा हुआ था वह भी नश्ट हो गया और लोगों का बड़ा भारी नुक्सान हुआ। देहात के लोग रो रहे थे। मैं तो सरकार का ध्यान अपने जिले के जो किसान हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं और फाइनैंस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं और आशा है मुख्यमंत्री महोदय भी मेरी बात को सुन रहे होंगे। मैं सरकार से पुरजोर अपील करूंगा कि हिसार के केस को भी कंसिडर किया जाए। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिब से भी मिला था, उन से मेरी हेल स्टार्म से हुए नुक्सान के बारे में बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि इसके बारे में पहले ही रिपोर्ट आई हुई है। स्पीकर साहब, शायद आपके नोटिस में भी यह बात आई होगी। मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इससे हिसार के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनकी भी कुछ न कुछ इमदाद की जाए, उन्हें कुछ न कुछ मुआवजा जरूर दिया जाए। जिन तीन जिलों का नाम इस नुकसान में दर्ज है उनमें हिसार का नाम भी जोड़ दिया जाए बेशक पांच या दस लाख रूपये और मांग लिये जाएं, मुझे उम्मीद है कि यह सदन हमारी इस डिमांड को जरूर पास कर देगा। स्पीकर साहब, मैं तो यह चाहता था कि हेल स्टोर्म से जो नुकसान हुआ है, सरकार उसके अन्दर दरियादिली दिखाये और उन किसानों की, जिनका नुकसान हुआ है, कुछ न कुछ जयर मदद की जाए।

इसके इलावा स्पीकर साहब, इसमें एक एक्साइज एंड टैक्सेशन की आइटम है और उसके लिये सरकार न 12 लाख रूपया मांगा है। मैंने उस डिमांड को पढ़ा है कि यह 12 लाख रूपया किस चीज पर खर्च होना है। यह 12 लाख रूपया सरकार ने मेनली तीन फार्म छपवाने पर खर्च करना है, फार्म नम्बर 13, 14, 15। वह फार्म 10 पैसा की फार्म के हिसाबर से डीलर्ज को देंगे और आगे बेचेंगे। अब देखना यह है कि इस फार्म की जरूरत भी है कि नहीं। इस बारे में हमने चीफ पैटरन के तौर पर हरियाणा व्यापार संघ की तरफ से रिप्रीजेन्टेशन भी दी हुई है और मैंने फार्म 15 को अच्छी तरह से स्टडी भी किय है और देखा है कि इस फार्म नम्बर 15 की कतई जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब उठ कर जा रहे हैं, मैं तो चाहता था कि चौ. श्याम चन्द जी यहां बैठते और मैं उनको अपनी बात कह सकता और सुझाव दे सकता। स्पीकर साहब, कोई भी जनता का आदमी, कोई पोलिटीशियन यह नहीं कहेगा कि टैक्स की इवेजिन हो, अगर किसी रूल से, किसी ऐसे काम से किसी ऐसे कदम उठाने से जनता को तकलीफ होती हो तो उस कदम को उठाने का क्या फायदा, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये। सेल्ज टैक्स ऐक्ट की सैक्शन 14 के अन्दर यह प्रोवाइड यिका हुआ है।

"14. The burden of proving that any purchase, sale, imprt effected by any person as principal, agent or in any other capacity is not liable to tax under the Act shall be on such person."

स्पीकर साहब, यह जनरल रूल है कि जो आदमी टैक्स के अन्दर ऐग्जम्पशन लेता है वह यह साबित करता है कि उसको ऐग्जम्पशन मिलनी चाहिए। वह कब इस बात को साबित करता है जबकि वह रिटर्न भरता हे और असैसमेंट के वक्त उसका फैसला आफिसर्ज करते हैं। जनरल ला से वे जो कलेम करत हैं, सेल्ज टैक्स एक्ट की धारा 14 के तहत यह स्पैसीफिक प्रोवाइड किया हुआ है।

स्पीकर साहब, फार्म नम्बर 15 क्या है, इसके बारे में, मैं आपको बताता हूं। उसके मुताबिक लास्ट प्वायंट मेनली सेल्ज टैक्स का है लेकिन जो हमारा टैक्स आता है वह लास्ट प्वायंट सेल्ज पर आता है। जो हमारी स्कीमज आफ थिंगज हैं उस पर जिस डीलर की सेल 40 हजार से ऊपर होती है उसको अपना नाम रजिस्टर करवाया पड़ता है और सेल्ज टैक्स नम्बर भी लेना पड़ता है। जब डीलर कंजम्पशन के लिये सेल करेगा तो वह सेल्ज टैक्स लेगा और सरकार को देगा और अगर वह सेल किसी दूसरे डीलर को करेगा जो सेल्ज टैक्स एक्ट के नीचे रजिस्टर्ड है तो फिर वह सेल्ज टैक्स नहीं लेना। जब 'ए' अपना नक्शा भरेगा कि मैंने 'बी' रजिस्टर्ड डीलर को माल सप्लाई किया है तो 'ए' कहेगा कि मुझे सेल्ज टैक्स नहीं लगना चाहिये। अतः उसको यह साबित करना पड़ेगा कि उसे रजिस्टड डीलर को सेल की है। स्पीकर साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हर फार्म पर सेल्ज टैक्स आफिसर के दस्तखत होते हैं और उनको लेने के

लिये लोगों को बहुत तकलीफ होती है, केवल लोगों को दुखी करेन के लिये ही ऐसा किया जाता है, दरअसल देखा जाए तो इस फार्म की कतई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डीलर जब कलेम करता है तो उसे यह साबित करना पड़ता है कि मैंने रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा है। स्पीकर साहब, जगाधरी, दादरी और भिवानी जैसे स्थानों पर ऐस केसिज भी हुए हैं कि जहां पर बोगस रजिस्ट्रेशन हुई हैं पर यह बोगस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एम्पलाईज के साथ मिल कर ही होती है सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये ताकि ऐसी बातें न हो सकें। स्पीकर साहब एक भी डीलर ऐसा नहीं हो सकता जो सेल्ज टैक्स नम्बर ले और एगजिस्ट न करे। कुछ डिलर्ज ने हमें रिप्रेजेन्ट भी किया कि उन पर यह जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये कि वह साबित करें कि जिस डीलर को उन्होंने माल बेचा है वह एगजिस्ट करता है या नहीं। उन्होंने यह कहा कि यह जिम्मेवारी उन पर नहीं होनी चाहिये। लेकिन हम नहीं माने क्योंकि दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में तो मुश्किल हो सकती है, मगर हमारे हरियाणा के शहर छोटे छोटे हैं, यहां के सब डीलर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। स्पीकर साहब, कुछ आदमियों का एक्साइज के स्टाफ के साथ मिलकर दिक्कत पैदा करना कोई अच्छी चीज नहीं है, यह जो फार्म 15 है इसकी कतई जरूरत नहीं है इसके लिये यह सैक्शन 14 जो है, अभी मैंने पढ़कर सुनाया है मौजूद है। स्पीकर साहब, ये जो फार्म छपवाएं है, उनका हिसाब रखना पड़ेगा और फिर जब यह फार्म भर के सेल्ज टैक्स स्टेटमेंट के साथ दफतरों में लगाकर दिया जाता है

तो उनका पढ़ने की बजाए दफतरों की अलमारियों में रख दिया जाता है और उनकी कोई चैकिंग नहीं होती।

एक और फार्म 'सी' हैं। जो माल हम दूसरी स्टेटस को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनसे फार्म 'सी' आबटेन करते हैं। मेरे माननीय दोस्त यहां नहीं हैं शायद वे यह कहे कि फार्म 'सी' भी व्यापारी पेश करता है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि मैं फार्म 'सी' की स्पोर्ट करता हूं लेकिन इसको फार्म न. 15 के साथ इक्वेट करना ठीक नहीं है। जब माल विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो उसकी चैकिंग आसान है। मैंने बतौर चीफ पैट्रन आफ हरियाणा व्यापारी संघ के, एक मैमोरैंडम हरियाणा सरकार को 3 जून, 1976 को दिया और यह सेल्ज टैकस की एडवाइजरी कमेटी में डिसकस किया गया। वहां मैंने सुझाव दिया था, जो पेज 5 पर है कि आप इस ढंग से व्यापारियों से इनफर्मेशन लें। सरकार की जो जो मंशा है यह यह है कि उनकी चैकिंग हो जाए। चैकिंग प्रौपर हो जाती है इसलिये व्यापारियों को इस फार्म को भरने की तथा डिपार्टमैंट को छपवाने की सिरदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, फर्ज करो 'ए' माल बेचता है और 'बी' माल खरीदता है तो देखना यह है कि आया 'ए' ने माल सही बेचा है या नहीं और 'बी' ने उसे अपनी खरीद में दिखाया है या नहीं। जब तक इनकी पूरी टैबूलेशन सही न हो तो ठीक नहीं। अब तक यह जो फार्म लेते रहे हैं उनकी बैरिअर्ज पर उसके हिसाब से चैंकिग होती रही, उस डैटे को ये इस्तेमाल करते रहे। तो मेरा सरकार को यह चैलेंज है

कि वह यह साबित करे कि ऐसा होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह चैकिंग ना–मुमकिन है क्योंकि इतना मैटिरियल वे इकट्ठा कर लेते हैं कि चैकिंग ना–मुमकिन है। मैंने इसका बहुत आसान तरीका निकाला क्योंकि मैं इस बात के लिये कौंशियस हूं कि हरियाणा सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया सेल्ज टैक्स है। जो हमारा टोटल रैवेन्यू बजट है।

श्री अध्यक्ष: इसमें तो सिर्फ फार्मों की छपाई का खर्चा है आप सारे सेल्ज टैक्स को कैसे डिसकमस कर सकते हैं?

श्री गुलाब सिंह जैन: इसमें मैं एक प्वायंट कहना चाहता हूं कि हमारा रैवेन्यू बजट 147 करोड़ है और उसमें से 52 करोड़ 62 लाख सेल्ज टैक्स को रैवेन्यू है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्योंकि सेल्ज टैक्स एक बहुत मेजर आइटम है इन्कम की, इसलिये सरकार को कौशियस रहना चाहिये कि सेल्ज टैक्स एक बहुत मेजर आइटम है इन्कम की, इसलिये सरकार को कौशियस रहना चाहिये कि सेल्ज टैक्स का इवेजन न हो और साथ–साथ यह भी चाहता हूं कि व्यापारी को और अधिक सहूलियत मिल सकें और सरकार के टैक्स की चोरी न हो ऐसे कदम उठाएं जाएं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज करूंगा कि जो फार्म न. 15 बनाया गया है, इस फार्म के छपवाने की और सेल्ज टैक्स अफसरों को इतने फार्मों पर दस्तखत करने की और व्यापारियों को रिटर्न के साथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी कोई यूटिलिटी नहीं है इसमें तो सिर्फ व्यापारियों को तकलीफ देने

वाली बात है और बगैर वजह स्टेट एक्सचैकर पर बर्डन डालने वाली बात है। मैं आप द्वारा सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि मैंने जो 3 जून को मेमोरैंडम दिया था वह उसे कंसिडर करे और जल्द से जल्द उसका फैसला करे। इसकी जल्दी इसलिये भी है कि क्वार्टरली रिपोर्ट हमें हर तीसरे महीने देनी पड़ती है। अप्रैल, मई और जून की जो रिटर्न है वह जुलाई में देनी पड़ती है तो आज 7 जुलाई हो गई, 22–23 दिन बाकी हैं। इसका अगर जल्दी फैसला न हुआ तो व्यापारियों को बड़ी तकलीफ होगी। मैं एक बार फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसका फैसला जल्दी करें और 15 नम्बर फम्र की जरूरत नहीं है इसलिये इसको सक्रप किया जाए। इसके आलवा जो फार्म न. 13 और 14 हैं उनकी भी मेरी नाकस राय में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक आइटम है 'एग्जैपटिड गुडज'। कुछ आइटम्ज ऐसी है जिनके ऊपर सेज्ल टैक्स नहीं लगता है तो व्यापारी को साबित करना है कि उसने कौन–कौन सी एग्जैपटिड गुडज सेल की। वह तब भी यह साबित करता था लेकिन सरकार के सामने, असैसिंग अथारिटीज के सामने कोई दिक्कत नहीं आई लेकिन उसको साबित करने के लिये आज एक नई चीज इनट्रोडयूज करके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है इसलिये इन फार्मज की भी कोई जरूरत नहीं है। इनको टैक्स के इवेजन में यह एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोपर फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ और आइटम्ज है जिन पर फर्स्ट प्वांयट पर सेल्ज टैक्स लगता है और मेजर आइटम्ज पर लास्ट प्वांयट पर सेल्ज टैक्स लगता है तो उसके लिये भी व्यापारी

जो परचेज करता है उसने यह साबित करना है कि इस पर सेल्ज टैक्स लग चुका है और उसके लिये भी क्वार्टरली रिटर्न के साथ 4–4 कापियां देनी पड़ती है। इसलिये ये फार्म रखने की कोई जयरत नहीं है। पहले भी एक्ट में प्रोवीजन था और उसकी वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले व्यापारी कलेम करता था अगर यह साबित नहीं कर सकता था तो नुकसान व्यापारी का होता था सरकार का कोई नुकसान नहीं होता था मतलब कि कोई टैक्स इवेजन नहीं था। जिस तरीके से यह फार्म सरकार ने बनाए हैं वे गल्त है। इससे सिवाए व्यापारियों को तकलीफ होने और कलैरिकल वर्क बढ़ाने के और कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं बड़े जोरदार लफ्जों में इसको अपोज करता हूं कि इन फार्मज के लिये यह जो खर्चा मांगा है यह बिल्कुल फिजूल खर्चा हैं, सरकार को यह खर्च नहीं करना चाहिये था। जिन अफसरान ने सरकार को यह राय दी है, वह गल्त राय दी है और उन्होंने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं की है। किसी जूनियर अफसर ने कान में बात डाल दी कि इस तरह से ठीक हो सकता है और इन्होंने उसी तरह से कर दिया और इसको प्रोपरली अंडरस्डैंड करने की कोशिश नहीं की। तो मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि इस 12 लाख के खर्चे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर टैक्स इवेजन हो रहा है तो उसको रोकने के उपाय की तरफ पूरा ध्यान दिया गया लेकिन अब में इस मामले पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि यह जनरल डिसकशन आफ बजट नहीं है। मैं इस वक्त यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो मेरा 3 जून का

मैमोरैंडम है उस पर जल्दी गौर की जाए ताकि व्यपारियों को जो परेशानी है वह दूर हो। अब रिटर्न देने का समय आ गया है अगर रिटर्न एक दिन भी लेट हो जाती है तो एक महीने का जुर्माना देना पड़ता है। मैं एक दफा फिर आपके द्वारा सरकार से यह अपील करता हूं कि इस फार्मज को सक्रैप किया जाए क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है।

चौ. दल सिंह (जीन्द): अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेंटस पर आज विचार किया जा रहा है। मैं डिमांड न. 13, 15 और 17 पर ही कुछ अलफाज कहना चाहता हूँ। डिमांड न. 13 समाज कल्याण तथा पुनर्वास से संबंधित है। सरकार ने इसमें 30 लाख 80 हजार रूपये की मांग की है और इसमें से 8 लाख 80 हजार रूपये नई चौपालों केा बनाने के लिये रखे गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने नई चौपाल के लिये तो पांच हजार रूपये रखे हैं और पुरानी चौपाल की मुरम्मत के लिये दो हजार रूपये रखे हैं, यह गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नई चौपालों के लिये ज्यादा रूपया होना चाहिये। दूसरी बात यह देखने में आई है कि चौपालें वहीं बनती हैं जहां मिनिस्टर साहब की नजरे इनायत हो। हरिजन तो सारे इलाके में हैं और सारे प्रदेश में हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये वहां पर चौपालें नहीं बनाते जहां पर मिनिस्टर साहब की नजरे इनायत न हो। इसलिये में यह कहना चाहता हूं कि जिस जिले में हरिजनों की जितनी आबादी हो उसके हिसाब से ही चौपालें बनाई जाएं जो डिजरव करते हों।

इस बात की चैकिंग भी होनी चाहिए और रूपये की मिकदार बढ़ानी चाहिए। इस डिमांड पर हमें कुछ एतराज नहीं है लेकिन स्पीकर साहब सब इलाकों का ख्याल रखा जाए क्योंकि हरिजन सब जगह पर एक जैसे ही गरीब हैं।

डिमांड नम्बर 15 इरिगेशन के बारे में है। इरिगेशन का मसला ऐसा है जो सब किसानों के लिए सबसे जरूरी है और किसान अगर खुशहाल हैं तो सारा देश खुशहाल हैं इस साल आप देखते हैं किसान खुशहाल है तो इसकी वजह से सारा देश खुशहाल है और यह कहते हैं कि गन्दम कोई लेने वाला नहीं है लेकिन पिछले साल आप जानते है कि फसल इतनी नहीं हुई थी और गवर्नमेंट के कर्मचारी पुलिस को साथ ले–लेकर लोगों के घरों पर छापे मार कर जबरदस्ती गन्दम ले जाते थे जोकि उन्होंने अपनी जरूरत के लिए रखी थी। 1976–77 की पहली ओरिजनल ग्रांट के अन्दर 653981670 रूपये रखे थे और अब 247887000 रूपये की रकम सरकार सतलुज जमुना लिंक कैनाल के लिए और लेना चाहती हैं। सरकार कहती है कि इसी साल यानी 1976–77 में इस नहर में पानी मिल जाएगा मगर स्पीकर साहब मैं समझता हूं कि यह नामुमकिन बात है। हमें खुशी है कि हमारी सरकार 19 करोड़ रूपया खर्च करने जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को इससे भी ज्यादा खर्च करना चाहिए लेकिन पानी की समस्या हल हो जाए।

पिछले सालों में भी शिकायत रही है और आज भी शिकायत है जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि इरिगेशन की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार का एक ही इलाके की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए बल्कि सारे प्रान्त में जहां–जहां इरिगेशन के साधन नहीं हैं उन सबकी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए बल्कि सारे प्रान्त में जहां–जहां इरिगेशन के साधन नहीं हैं उन सबकी तरफ ध्यान होना चाहिए। सारे प्रान्त की प्रजा के साथ इंसाफ होना चाहिए और सबको एक जैसी नजर से देखना चाहिए। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस इलाके में या जिन गावों में लोगों का निर्भर खेती पर है और पानी न होने की वजह से, वहां अगर बारिश भी न हो तो कोई पैदावार नहीं होती, वहां पर इरिगेशन के साधन प्रायरिटी बेसिज पर उपलब्ध करें। स्पीकर साहब जीन्द डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड मानते है। जीन्द में ऐसे गांव हैं जहां इस साल को छोड़ कर पिछले 6 सालों में कोई फसल नहीं हुई। आप गिरदावरी देख सकते हैं। उसके नाम यहां पर बताना चाहता हूं उनमें ये गांव आते हैं – बड़ौदा, झांझ कलां, खुर्द जाजबान, खेड़ी और दरयावाला झमोला, करेला, खेड़ाबख्ता आदि। इन गांवों में लगातार 6–7 साल फसल नहीं हुई तो क्या वजह है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते? क्या वहां के लोग हरियाणा के रहने वाले नहीं है? मैं निवेदन करूंगा कि जो आप करोड़ो रूपया खर्च करके पानी की सहूलियत देना चाहते हैं उसमें आपको ऐसे इलाकों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए ताकि वे लोग भी पेट भर कर रोटी खा सकें।

इसी तरह स्पीकर साहब, जुलाना में जयजयबन्ती, देवरड़, लजवाना कलां, बुढा खेड़ा लाठर, जफरगढ़, सामलोकलां, पडाना, निडानी, निड़ाना जहां पानी की बहुत कमी है और अगर बारिश न हो तो लोगों का गुजारा नहीं चलता। इनके लिए भी इरिगेशन की सुविधा दी जानी चाहिए। स्पीकर साहब, जहां–जहां लोगों का खेती पर गुजारा है अगर वहां फसल न हो तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनके बाल–बच्चों की और मवेशियों की क्या हालत होती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी सरकार को इस ओर विशेश ध्यान देना चाहिए और वहां पानी की सुविधा दी जानी चाहिए।

डिमांड नम्बर 17 एग्रीकल्चर के बारे में है जिसमें 17125400 रूपये की मांग की है। स्पीकर साहब, गोबर गैस प्लांटस के लिए 4750000 रूपये 5 हजार गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए अनुदान के रूप में 1975–76 में दिये गये हैं और 1976–77 में 667600 रूपये की रकम 2 हजार गोबर गैस प्लांटस लगाने के लिए अनुदान के रूप में खर्च की जायेगी। हमें खुशी है कि सरकार गोबर गैस प्लांट लगाकर गांव–गांव में खाद की बचत करना चाहती है लेकिन सच्चाई कया है आज गांव के अन्दर दलाल फिरते हैं और वे लोगों को बहकाते हैं कि आओ, हम आपको कर्जे दिलायेंगे लेकिन लोगों को यह नहीं बताते कि कर्जा किस बात का है वे उनके दो जगह पर अंगूठे लगवाते हैं। दो किश्त के लिए पहले ही अंगूठा लगवा लेते हैं और बाकी अगले

दिन वह ढोल सा लाद कर उसके पास पहुंच जाते हैं कि तेरा ढोल मंजूर है, तुम गोबर गैस प्लांट लगाओ। वह बेचारा कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन उसे कहा जाता है कि तेरे को यह जरूर लेना पड़ेगा। स्पीकर साहब, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास न मकान है, न जमीन है और न ही कोई मवेशी है उनके साथ इस तरह का धोखा किया जाता है ऐसे लोग गोबर गैस प्लांट कहां लगाएंगे। मैंने सन् 2969 में अपना गोबर गैस प्लांट लगाया था जोकि आज तक चालू है उससे आगे भी मिलती है और खाद भी मिलती है और जरूरत पड़े तो बिजली भी मिलती है लेकिन स्पीकर साहब, आज 80 प्रतिशत गोबर गैस प्लांट ऐसे हैं जो नाकामयाब हैं। सरकार कहती है कि मंगगाई नहीं है लेकिन लोग जानते हैं कि महंगाई है, आप इस बात की तहकीकात करवा सकते हैं कि गांव–गांव में गोबर गैस प्लांटस के ढोल बेकार पड़े हैं जिनकी कीमत सरकारी तौर पर 17 सौ रूपये है। ऐसा ढोल मैं 750–800 रूपये में प्राइवेटली बनवा सकता हूं। मगर यह दो किश्तों पर अंगूठा लगवाते हैं और कहते हैं तेरा ढोल मंजूर हो गया है। यह कहता है कि मैं नहीं लेना चाहता उसे जबरदस्ती कहते हं कि तुम्हें लेना पड़ेगा। तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है कि यह डिमांडस ठीक हैं लेकिन जिन कमियों की तरफ मैंने गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया है उनको दूर किया जाए और सरकार अपने डिप्टी कमिश्नर्स की मार्फत उन बातों की इंक्वायरी कराये ताकि यह पता लग सके कि कितने गोबर गैस प्लांटस चालू हैं और कितने बेकार और बोगस हैं। वरना तो बेतहाशा रूपया खर्च

करके बीच में लटके रहना ठीक नहीं है। जितने गोबर गैस प्लांट सही मायनों में चलेंगे उससे बड़ा भारी फायदा होगा। इन अल्फाज के साथ स्पीकर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि आपने गिलोटिन का टाईम 6 बजे के बाद मुकर्रर किया था लेकिन सप्लीमैंट्री डिमांडस पर केवल दो माननीय सदस्य ही बोलने के लिए उठे। जिनमें एक ट्रैजरी बैंचिज के थे और एक चौधरी दल सिंह। यह एक तरह का बड़ा भारी ट्रिब्यूट है सप्लीमेंट्री डिमांडस के लिए। दोनों मेबरान ने इनको एप्रीशियेट किया है चौ. दल सिंह जी ने अपनी स्पीच में कहा कि इरिगेशन में जीन्द का ख्याल रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हरियाणा के 11 जिले हैं जिनमें सिर्फ महेन्द्रगढ़, नारनौद को मिलाकर एक जिला है जहां नहर नहीं है लेकिन हमारी गवर्नमेंट से उसके लिए भी प्रोविजन किया है और जवाहर लाल नेहरू कैनाल वहां जानी है। जितना रूपया रावी ब्यास के लिये खर्च किया गया है वह सारे हरियाणा के फायदे के लिए है। दूसररा इन्होंने गोबार गैस प्लांटस के बारे में जो बातें कहीं हैं हम उनकी तहकीकात करवा लेंगे। वैसे गोबर गैस प्लांटस काफी मुफीद हैं इन्होंने खुद भी इस बात को माना है। श्री गुलाब सिंह जैन ने एक्साइज एण्ड टैक्सैशन डिपार्टमैंट के फार्म नंबर 15 के बारे में कहा कि उसकी जरूरत नहीं है इसकी भी हम जांच करवा

लेंगे। जहां तक हिसार में क्रौप्स के डैमेज होने की बात है इसको भी हम देख लेंगे। बाकी चूंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरी निहायत मुअदबाना अर्ज है कि इन सप्लीमैंटरी डिमांडज को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Now I will put the various demands to the vote of the House.

Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 250000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 165000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 2-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1200000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4003400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3080000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitatin.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 247887000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13866000 be granted to the Governor to defray the charges

that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5375000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 652260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2882830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 20-Forest.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2500000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1977 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State-Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands *adjourned till 2.00 P.M. tomorrow.

***15.53 बजे**

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 8th July, 1976)